सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 चैत्र, 1948 (श०)

संख्या - 163 राँची, शुक्रवार, 10 अप्रैल, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,

संकल्प

17 मार्च, 2026

संख्या-3/आरोप-11-20/2025 का.-1681--जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 1564, दिनांक- 20.03.2025 के द्वारा श्री मोहित मुक्ति मंजर, सेवानिवृत्त झा०प्र०से०(को० क्र०-644/03), तत्कालीन अपर समाहर्त्ता, पलामू, अति० प्रभार विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर के विरूद्ध विहित प्रपत्र में गठित आरोप पत्र इस विभाग को श्री मंजर के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया ।

उक्त आरोप पत्र में प्रतिवेदित है कि मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरांत श्री अमीर लाल पासवान, जंजीरवाहक को रू0 9,85,679/- का बकाया वेतन भुगतान के संबंध में वित्तीय अनियमितता की जाँच हेतु विभाग स्तर पर जाँच कमिटि गठित किया गया। उक्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर गठित आरोप पत्र में श्री मंजर के विरूद्ध जल संसाधन विभागीय पत्रांक-1482, दिनांक- 24.05.2011 द्वारा श्री अमीर लाल पासवान, जंजीरवाहक, विशेष भू-अर्जन कार्यालय, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर के सेवा समाप्ति के बावजूद सेवा में बनाये रखने, एल०पी०ए० संख्या- 387/2008 में दिनांक- 03.09.2015 को पारित न्यायादेश की प्रति प्राप्त होने के बावजूद कार्रवाई नहीं करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

2. जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त आरोप पत्र में अंकित आरोपों से स्पष्ट है कि आरोप से संबंधित घटना वर्ष 2011 एवं वर्ष 2015 में घटित हुई है। श्री मंजर दिनांक 31.01.2017 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अतएव श्री मोहित मुक्ति मंजर के विरूद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने के बिन्दु पर विधि विभाग से मंतव्य की मांग की गयी।

3. विधि विभाग के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता से प्राप्त मंतव्य में श्री मोहित मुक्ति मंजर के विरूद्ध गठित प्रसंगाधीन आरोप को पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत कालबाधित होने तथा पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत कोई भी कार्रवाई किये जाने को नियमानुकूल नही होने का परामर्श दिया गया है, जो निम्नवत् हैः-

"-------In view of the above, it is my considered opinion that proceedings under Rule 43(b) of the Jharkhand Pension Rules cannot be initiated against Shri Mohit Mukti Manjar at this stage, as the same are hit by the statutory bar contained in proviso (a)(ii) to Rule 43(b). No action under Rule 43(b) will not be legally maintainable in view of discussion made above."

4. झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के परन्तुक की कंडिका-क(ii) में प्रावधानित है कि "ऐसी विभागीय कार्यवाही, उस घटना के सम्बन्ध में चलायी जायेगी, जो विभागीय कार्यवाही चलाये जाने की तिथि से चार वर्ष से अधिक पहले घटित नहीं हुआ; ।

5. जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त आरोप पत्र में अंकित आरोपों से स्पष्ट है कि आरोप से संबंधित घटना वर्ष 2011 एवं वर्ष 2015 में घटित हुई है। श्री मंजर दिनांक 31.01.2017 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इस प्रकार घटना का 10 वर्ष से अधिक अवधि व्यतीत हो चुका है। साथ ही श्री मंजर को सेवानिवृत्त हुये भी आठ वर्ष से अधिक अवधि व्यतीत हो चुका है।

6. अतः समीक्षोपरांत, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 1564, दिनांक-20.03.2025 के द्वारा श्री मोहित मुक्ति मंजर, सेवानिवृत्त झा०प्र०से०(को० क्र०-644/03), तत्कालीन अपर समाहर्त्ता, पलामू, अति० प्रभार विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर के विरूद्ध गठित आरोप पत्र को झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत कालबाधित मानते हुए संचिकास्त किया जाता है ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री मोहित मुक्ति मंजर, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (को० क्र0-644/03) एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरु,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 163 - 50